माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्याः– (0755) 2551650

क्रमांक / 3882 / परीक्षा–समन्वय / 2025 भोपाल दिनांक– 05/05/2025

आदेश

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा वर्तमान में प्रतिवर्ष दो परीक्षायें (मुख्य परीक्षा एवं पूरक परीक्षा) आयोजित की जाती है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश विनियम 1965 के अध्याय उन्नीस– पूरक परीक्षा की कण्डिका–139 के प्रावधान अनुसार मुख्य परीक्षा के पश्चात पूरक परीक्षा का आयोजन किया जाता रहा है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय– विद्यार्थियों के विकास के लिये आंकलन में आमूल–चूल परर्वितन की कण्डिका 4.37 में प्रावधानित है कि "बोर्ड परीक्षाओं के उच्चतर जोखिम पहलू को समाप्त करने के लिये सभी छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जायेगी, एक मुख्य परीक्षा और वांछित हो तो एक सुधार के लिये।"

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विहित प्रावधानों के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 23 अप्रैल 2025 एवं कार्यपालिका समिति की बैठक दिनांक 28 अप्रैल 2025 के निर्णयानुसार मण्डल द्वारा सत्र 2024–25 से दो परीक्षायें (मुख्य एवं द्वितीय परीक्षा) आयोजित की जावेगी।

4. मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1965 के अध्याय उन्नीस "पूरक परीक्षा" के स्थान पर "द्वितीय परीक्षा" आयोजित करने के लिये संशोधन संबंधी प्रस्ताव राजपत्र में अंतिम प्रकाशन दिनांक 01.05.2025 को किया गया हैं।

5. माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1965 विनियम में संशोधन संबंधी प्रकाशित राजपत्र में विहित प्रावधान एवं मण्डल की विभिन्न समितियों द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में सत्र 2024–2025 से मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा के आयोजन हेतु निम्नानुसार विस्तृत अनुदेश जारी किये जाते है–

5.1 शैक्षणिक सत्र की प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र/छात्रायें ही उस सत्र की द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

5.2 मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षाफल में किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूरक घोषित नहीं किया जावेगा अर्थात एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रत्येक विषय के सम्मुख अनुत्तीर्ण अंकित किया जावेगा।

5.3 मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुक्रम में हाईस्कूल परीक्षा में बेस्ट फाईव पद्धति पूर्वतः लागू रहेगी।

5.4 जिस संस्था के माध्यम से प्रथम परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन–पत्र भरा गया हो, उसी संस्था के माध्यम से द्वितीय परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन–पत्र निर्धारित समयावधि में भरना अनिवार्य होगा।

5.5 ऐसे छात्रों के लिए, जो मण्डल की प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण रहे हों, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हों, वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे। किन्तु अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित विषय में आवेदन–पत्र भरना अनिवार्य होगा।

5.6 प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में, द्वितीय परीक्षा में, सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे।

5.7 द्वितीय परीक्षा में प्रायोगिक/आंतरिक परीक्षा में केवल इस भाग में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र ही पुनः संम्मिलित हो सकेंगे अर्थात प्रायोगिक/आंतरिक भाग में उत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। (द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन में प्रथम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित किये गये अंक द्वितीय परीक्षा के लिये कैरी ओवर किये जायेंगे।)

5.8 द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन–पत्र भरना अनिवार्य होगा, किन्तु द्वितीय परीक्षा के दौरान, छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा में लिए गए विषय में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.9 ऐसे छात्र जो मण्डल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों, अंकों की पुर्नगणना के लिए मण्डल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।

5.10 द्वितीय अवसर परीक्षा में वही कृपांक नीति मान्य होगी जो प्रथम मुख्य परीक्षा में मान्य है।

5.11 केवल प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जायेगी एवं प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना/पुर्नगणना के पश्चात स्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जायेगी। द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम की कोई भी प्राणीण्य सूची जारी नहीं की जावेगी।

5.12 प्रथम मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरान्त, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित छात्रों को छोड़कर शेष प्रथम मुख्य परीक्षा के छात्रों की अंकसूची मुद्रित कर जारी की जावेगी। समस्त परीक्षार्थियों (द्वितीय परीक्षा का चयन करने वाले छात्रों सहित) की प्रथम परीक्षा की अंकसूचियां डिजीलॉकर में उपलब्ध रहेगी। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को अंकसूची द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर जारी की जावेगी।

5.13 द्वितीय परीक्षा की अंकसूची भी मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जायेगी अर्थात द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों के सम्मुख्य किसी भी प्रकार का विशेष चिन्ह मुद्रित नहीं किया जावेगा, किन्तु मुख्य भाग में परीक्षा का नाम द्वितीय परीक्षा में रूप में संबोधित किया जायेगा।

5.14 प्रथम मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात द्वितीय परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ की जायेगी। यदि द्वितीय परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में छात्र को प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना के परीक्षा परिणाम का इंतजार किये बिना परीक्षार्थियों को द्वितीय अवसर परीक्षा का आवेदन भरना होगा। द्वितीय परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना के परीक्षा परिणाम घोषित होते है तो परीक्षार्थी के किसी भी अभ्यावेदन या शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

5.15 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी द्वितीय परीक्षा में विषय/विषयों में अंक सुधार के लिये सम्मिलित होते है और अंक सुधार कर लेते है या अंकों में सुधार नहीं होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को आगामी सत्र में पुनः नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

6. सत्र 2024–25 से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्नानुसार शुल्क जमा करना होगा–

- एक विषय हेतु– रुपये 500/–
- दो विषय हेतु– रुपये 1000/–
- तीन/चार विषयों तक– रुपये 1500/–
- चार विषय से अधिक– रुपये 2000/–

7. द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त प्राप्तांको से असंतुष्ट छात्र/छात्रायें निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नगणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

8. ऐसे छात्रों को, जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक, मण्डल या महाविद्यालय द्वारा संबद्धता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यो द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने की दशा में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी।

9. प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त परीक्षा आयोजन करने के उद्देश्य हेतु किसी भी बोर्ड को मण्डल की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण/उत्तीर्ण छात्रों का डाटा प्रदाय/साझा नहीं किया जावेगा, किन्तु मण्डल की द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त प्रति छात्र रुपये 200/– शुल्क प्राप्त कर किसी भी शासकीय संस्थान/शिक्षा मण्डल को अनुत्तीर्ण छात्रों का डाटा प्रदाय/साझा किया जावेगा।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक/3883/गोपनीय–समन्वय/2025 भोपाल दिनांक–05/05/2025

प्रतिलिपि–

1– विशेष सहायक, मा.मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2– समस्त मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3– उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय,मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5– आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7– समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8– समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
10–संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
11–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
12–आचंलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
13–समस्त प्राचार्य, मण्डल से संबद्धता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थायें, मध्यप्रदेश।
14–निज सचिव अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
15–निज सचिव–सचिव/अति.सचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी/विधि अधिकारी/सी.एस.ओ/ समस्त–पंजीयक, सहायक सचिव, कक्षाधिकारी/समकक्ष अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल,म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई–मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या:– (0755) 2551650

क्रमांक / 3886 / परीक्षा समन्वय / 2025 भोपाल दिनांक– 06 / 05 / 2025

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त, मान्यता प्राप्त संस्थायें / अग्रेषण संस्थायें
मध्यप्रदेश।

विषय– वर्ष 2025 की हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी द्वितीय परीक्षा के आयोजन संबंधी निर्देश।

संदर्भ– मण्डल का पत्र क्रमांक / 3882–83 / परीक्षा–समन्वय / 2025 भोपाल, दिनांक 05.05.2025

वर्ष 2025 की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संदर्भित पत्र द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किए गए है। सत्र 2024–25 की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी द्वितीय परीक्षा के लिए एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 07 मई 2025 से दिनांक 21 मई 2025 की रात्रि 12:00 बजे तक आवेदन–पत्र भरे जा सकेंगे।

2– वर्ष 2025 की हाईस्कूल द्वितीय परीक्षा दिनांक 17 जून 2025 से दिनांक 26 जून 2025 तक एवं हायर सेकण्डरी द्वितीय परीक्षा दिनांक 17 जून 2025 से दिनांक 05 जुलाई 2025 तक प्रातः 09:00 से 12:00 बजे तक निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम मण्डल की वेबसाईट www.mpbse.nic.in पर उपलब्ध है।

3– सत्र 2024–2025 से मण्डल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा के आयोजन हेतु निम्नानुसार विस्तृत अनुदेश जारी किये जाते है–

3.1 द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र स्वयं एम.पी. ऑनलाईन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर द्वितीय परीक्षा के विषय, अनुक्रमांक (रोल नंबर) की जानकारी देकर शुल्क का नगद भुगतान कर परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे। जो छात्र स्वयं कियोस्क में जाकर द्वितीय परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करना चाहते वह अपनी शिक्षण संस्था में नियमित छात्र जिसमें वह अध्ययनरत् थे, तथा स्वाध्यायी छात्र मुख्य परीक्षा हेतु उनके आवेदन पत्र अग्रेषण करने वाली संस्था में द्वितीय परीक्षा के आवेदन हेतु प्राचार्य (संस्था प्रमुख) को अपने नाम, अनुक्रमांक तथा द्वितीय परीक्षा के विषय की जानकारी भरने के साथ परीक्षा शुल्क जमा करा सकते है। संस्था प्रमुख इस प्रकार से आवेदन करने वाले छात्रों को उनके शुल्क जमा की रसीद देंगे तथा निर्धारित तिथि के पूर्व ऐसे समस्त छात्रों का निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल चार्ज ₹ 25/– एवं उनके द्वितीय परीक्षा से संबंधित जानकारी सहित कियोस्क में जाकर ऑनलाईन आवेदन भरेंगे। निर्धारित समय सीमा में उक्त कार्यवाही करने के लिये संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

3.2 शैक्षणिक सत्र की प्रथम परीक्षा में पंजीकृत छात्र / छात्रायें ही उस सत्र की द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

3.3 मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के परीक्षाफल में किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूरक घोषित नहीं किया जावेगा अर्थात एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र का प्रत्येक विषय के सम्मुख अनुत्तीर्ण अंकित किया जावेगा।

3.4 मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुक्रम में हाईस्कूल परीक्षा में बेस्ट फाईव पद्धति पूर्वतः लागू रहेगी।

3.5 प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र भी एक या एक से अधिक विषयों में, द्वितीय परीक्षा में, सम्मिलित होने हेतु पात्र होंगे।

3.6 जिस संस्था के माध्यम से प्रथम परीक्षा हेतु परीक्षा आवेदन–पत्र भरा गया हो, उसी संस्था के माध्यम से द्वितीय परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन–पत्र निर्धारित समयावधि में भरना अनिवार्य होगा।

3.7 ऐसे छात्रों के लिए, जो मण्डल की प्रथम परीक्षा के परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण रहे हों, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी, जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए हों, वे भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे। किन्तु अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित विषय में आवेदन–पत्र भरना अनिवार्य होगा।

3.8 द्वितीय परीक्षा में प्रायोगिक/आंतरिक परीक्षा में केवल इस भाग में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र ही पुनः सम्मिलित हो सकेंगे अर्थात प्रायोगिक/आंतरिक भाग में उत्तीर्ण छात्रों को द्वितीय अवसर परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी। (द्वितीय परीक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय प्रायोगिक एवं आंतरिक मूल्यांकन में प्रथम मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण विषयों में अर्जित किये गये अंक द्वितीय परीक्षा के लिये कैरी ओवर किये जायेंगे।)

3.9 द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये छात्र को निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा आवेदन–पत्र भरना अनिवार्य होगा, किन्तु द्वितीय परीक्षा के दौरान, छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा में लिए गए विषय में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

3.10 ऐसे छात्र जो मण्डल की द्वितीय परीक्षा में बैठे हों, अंकों की पुर्नगणना के लिए मण्डल के प्रावधानों के अनुसार आवेदन कर सकेंगे।

3.11 द्वितीय अवसर परीक्षा में वही कृपांक नीति मान्य होगी जो प्रथम मुख्य परीक्षा में मान्य है।

3.12 केवल प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम के पश्चात अस्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जायेगी एवं प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना/पुर्नगणना के पश्चात स्थायी प्रावीण्य सूची जारी की जायेगी। द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम की कोई भी प्राणीण्य सूची जारी नहीं की जावेगी।

3.13 प्रथम मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित होने के उपरान्त, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित छात्रों को छोड़कर शेष प्रथम मुख्य परीक्षा के छात्रों की अंकसूची मुद्रित कर जारी की जावेगी। समस्त परीक्षार्थियों (द्वितीय परीक्षा का चयन करने वाले छात्रों सहित) की प्रथम परीक्षा की अंकसूचियां डिजीलॉकर में उपलब्ध रहेगी। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को अंकसूची द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर जारी की जावेगी।

3.14 द्वितीय परीक्षा की अंकसूची भी मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जायेगी अर्थात द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों के सम्मुख्य किसी भी प्रकार का विशेष चिन्ह मुद्रित नहीं किया जावेगा, किन्तु मुख्य भाग में परीक्षा का नाम द्वितीय परीक्षा में रूप में संबोधित किया जायेगा।

3.15 प्रथम मुख्य परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात द्वितीय परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ की जायेगी। यदि द्वितीय परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में छात्र को प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना के परीक्षा परिणाम का इंतजार किये बिना परीक्षार्थियों को द्वितीय अवसर परीक्षा का आवेदन भरना होगा। द्वितीय परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात प्रथम मुख्य परीक्षा के पुर्नगणना के परीक्षा परिणाम घोषित होते है तो परीक्षार्थी के किसी भी अभ्यावेदन या शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।

3.16 मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी द्वितीय परीक्षा में विषय/विषयों में अंक सुधार के लिये सम्मिलित होते है और अंक सुधार कर लेते है या अंकों में सुधार नहीं होता है तो ऐसे परीक्षार्थियों को आगामी सत्र में पुनः नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी।

4– सत्र 2024–25 से हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निम्नानुसार शुल्क जमा करना होगा–

- एक विषय हेतु– रुपये 500/–
- दो विषय हेतु– रुपये 1000/–
- तीन/चार विषयों तक– रुपये 1500/–
- चार विषय से अधिक– रुपये 2000/–

5– द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त प्राप्तांको से असंतुष्ट छात्र/छात्रायें निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नगणना एवं उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने हेतु ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे।

6– ऐसे छात्रों को, जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हों, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने तक, मण्डल या महाविद्यालय द्वारा संबंद्धता प्राप्त संस्था के प्रधानाचार्यो द्वारा अगली उच्चतर कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेने की अस्थायी अनुमति दी जा सकेगी और ऐसे अभ्यर्थियों के द्वितीय परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए जाने की दशा में उनकी उपस्थिति की गणना की जाएगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठां. क्रमांक/3887/परीक्षा समन्वय/2025 भोपाल दिनांक– 06/05/2025
प्रतिलिपि–

1– विशेष सहायक, मा.मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2– समस्त मण्डल सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3– उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
4– सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
5– आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
6– आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7– समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8– समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9– समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
10–संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
11–समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
12–आचंलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
13–निज सचिव अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
14–निज सचिव–सचिव/अति.सचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी/विधि अधिकारी/सी.एस.ओ/ समस्त–पंजीयक, सहायक सचिव, कक्षाधिकारी/समकक्ष अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल,म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल
मध्यप्रदेश, भोपाल